पंजीकरण सं. : 3161/09

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

Regd Office - Booty Road, Bariatu, P.O.-RMCH, P.S.-Sadar, Distt.-Ranchi-834009 (Jharkhand)
Reg. Off.- Flat No. 2B, 2nd Floor, Parasar Tower, Piska More, Ratu Road, Ranchi-834005(Jharkhand)
☎-9431358317, ✉ : choudhary_ritesh28@yahoo.in
Website : www.manavadhikarsangathan.org, e-mail : info@manavadhikarsangathan.org

रितेश कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी

पत्रांक : AMS/125/2026-27
दिनांक : 06.05.2026

प्रेषक,

राष्ट्रीय प्रभारी,
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

अभिप्रेषित :

सभी प्रदेश / जिला / ब्लॉक प्रभारी, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन
सभी प्रदेश / जिला / ब्लॉक अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन
सभी संयोजक एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के सभी पदाधिकारीगण

विषय :– संगठन के नीति–नियम एवं निर्देशों का सख्ती से पालन करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक दिशानिर्देश।

महोदय / महोदया,

पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन इस प्रगति के लिए आपको शुभकामना देते हुए इस खेदजनक तथ्य से भी आपको परिचित कराना चाहूँगा कि हम आप में से अनेक पदाधिकारियों–कर्मचारियों का आचरण, व्यवहार व कार्यसंस्कृति, बेहद प्रतिकूल तथा निराशाजनक है। आपसी तालमेल का अभाव भी हर जगह नजर आता है। साथ ही हममें से अनेक लोग जिम्मेदारी से उन्मुक्त होकर स्वच्छंद वातावरण में बिना किसी समय सीमा के काम करने के आदी हैं। हममें–आपमें से अनेक लोग मोबाइल पर बात करने के दौरान बिना किसी योजना, तथ्य आदि के आधारहीन व लंबी बातचीत करते हैं। जिसमें संगठन के विस्तार एवं कार्यक्रमों को करने के बारे में काफी बातें होती हैं परंतु धरातल पर किसी भी बात का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। साथ ही यदि फोन पर कोई वक्तव्य भी दिया जाता है तो वह अनेक बार आधारहीन होता है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इन सभी बातों तथा विभिन्न सूत्रों से मिल रही जानकारियों को बेहद गंभीरता के साथ लिया है। वर्तमान कार्य संस्कृति को चिन्ताजनक करार देते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसका सख्ती से पालन किया जाना प्रत्येक संबंधित पदाधिकारी की निजी जिम्मेदारी होगी।

अति आवश्यक दिशानिर्देश :–

1. संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण सर्वप्रथम संगठन के स्थायी, क्रियाशील एवं सामान्य सदस्य के रूप में तय सदस्यता शुल्क देकर संगठन के सदस्य बनते हैं। उसके बाद ही उनकी काबिलियत एवं कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्हें किसी पद पर मनोनीत किया जाता है ना कि सदस्यता शुल्क देने भर से ही वो पदाधिकारी बनते हैं।
2. संगठन के वैसे सदस्य जिनका मनोनयन किसी पद के लिए किया जाता है उसमें उनकी सहमति आवश्यक होती है एवं जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया जाता है उसकी पूर्ण जिम्मेवारी उस सदस्य की होती है।
3. संगठन के कार्यक्रमों एवं वहां की समितियां बनाने का कार्य वहां के चयनित पदाधिकारी का होता है जिसे उक्त पदाधिकारी को अपने स्तर से करना होता है।
4. किसी भी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई भी पद तभी पूर्णरूपेण माना जाएगा जब संबंधित पदाधिकारी उस समिति के न्युनतम 11 सदस्यों का कोरम पूर्ण करेंगे या उच्च पदाधिकारियों के दिये हुए दिशानिर्देश को तय समय में पूरा करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

Regd Office - Booty Road, Bariatu, P.O.-RMCH, P.S.-Sadar, Distt.-Ranchi-834009 (Jharkhand)
Reg. Off.- Flat No. 2B, 2nd Floor, Parasar Tower, Piska More, Ratu Road, Ranchi-834005(Jharkhand)
☎-9431358317, ✉ : choudhary_ritesh28@yahoo.in
Website : www.manavadhikarsangathan.org, e-mail : info@manavadhikarsangathan.org

रितेश कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी

पत्रांक : AMS/125/2026-27

दिनांक : 06.05.2026

5. संगठन के स्थायी सदस्य ही संचालन समिति / निदेशक मंडल / राज्य समिति / जिला समिति में पद प्राप्त करेंगे। ब्लॉक स्तर की समितियों में क्रियाशील सदस्यों को जगह दी जाऐगी।
6. संगठन में पदाधिकारियों का मनोनयन उनकी सहमति से तथा उनके द्वारा निर्धारित किए गए समय को देखकर किया जाता है। यदि संबंधित पदाधिकारी तय समय पर अपने प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक की समितियों का विवरण तय समय पर राष्ट्रीय कार्यालय एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपते हैं तो उनका कार्यकाल निलंबित माना जाएगा।
7. संगठन के उच्च पदाधिकारियों के निर्देश अथवा लिखित अनुमति के बिना संगठन का कार्यालय खोलना, संगठन का कोई भी कागजात उपयोग में लाना एवं संगठन के नाम पर कोई भी बैठक या कार्यक्रम करना वर्जित है। अगर कोई भी पदाधिकारी उक्त किसी भी कार्यों में संलिप्त होता है तो उक्त पदाधिकारी पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार होगा।
8. संगठन के पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेवारियों का निर्वहन अपने स्तर से करना है, यदि पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी सुचारू रूप से नही निभाते हैं, या संगठन के कार्यक्रम पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हो तो तत्काल प्रभाव से संबंधित पदाधिकारी के कार्यकाल को निलम्बित कर दिया जाएगा।
9. संगठन के पदाधिकारी / कार्यकर्त्ता अपने से उच्च पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगें।
10. संगठन के पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारियों के फोन एवं मैसेज की लगातार अनदेखी करते हैं तो इस संदर्भ में संबंधित पदाधिकारी उक्त पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।
11. संगठन के पदाधिकारी द्वारा मनोनयन पत्र में दिए गए समय के अलावे अतिरिक्त समय के लिए लिखित मंजूरी आवश्यक है। बार-बार समय लेने के बावजूद संबंधित पदाधिकारी कमिटि के पदाधिकारियों का चयन कर सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं एवं संगठन के कार्यक्रमों पर इसका असर होता है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्णरूपेण उस पदाधिकारी की होगी तथा उसका कार्यकाल तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है।
12. संगठन के द्वारा सदस्यों का पहचान पत्र उनके सदस्यता एवं पद के अनुसार जारी किया जाता है जो कि एक साल के लिए ही वैद्य होता है। सदस्यता जारी रखने के लिए पहचान पत्र का नवीनीकरण आवश्यक है साथ ही संबंधित पदाधिकारी को अपने एक साल के कार्यकाल का विवरण देना आवश्यक है।
13. पहचान पत्र के नवीनीकरण का शुल्क 250रू प्रतिवर्ष है एवं लगातार तीन वर्षों तक नवीनीकरण नहीं कराने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी एवं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित सदस्य की होगी।
14. यदि मनोनीत पदाधिकारी एक वर्ष के कार्यकाल अवधि का विवरण अपने उच्च पदाधिकारी या कार्यालय को नहीं सौंपते हैं तो उनका पदाधिकारी का पहचानपत्र निरस्त कर दिया जाएगा एवं पदाधिकारी के द्वारा लिए गए सदस्यता (स्थायी / क्रियाशील / सामान्य) का ही पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।
15. फोन / मोबाइल पर अथवा व्यक्तिगत रूप से आदेश / कार्यादेश प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी की यह निजी जिम्मेदारी है कि वह अपने से वरिष्ठ को यथाशीघ्र-यथासंभव कार्य की प्रगति या बाधा से अवगत करायें।

Ritesh

Scanned with OKEN Scanner

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

Regd Office - Booty Road, Bariatu, P.O.-RMCH, P.S.-Sadar, Distt.-Ranchi-834009 (Jharkhand)
Reg. Off.- Flat No. 2B, 2nd Floor, Parasar Tower, Piska More, Ratu Road, Ranchi-834005(Jharkhand)
☎-9431358317, ✉ : choudhary_ritesh28@yahoo.in
Website : www.manavadhikarsangathan.org, e-mail : info@manavadhikarsangathan.org

रितेश कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी

पत्रांक : AMS/125/2026-27

दिनांक : 06.05.2026

देना आवश्यक है।

16. संगठन का कार्य जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाने तथा विधिक जागरूकता एवं प्रचार का है जिसके लिए संगठन विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग एवं दिशानिर्देश में कार्य एवं कार्यक्रम करता है।

17. संगठन के वैसे कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो लगातार अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हैं तो संबंधित पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं उनका कार्यकाल/सदस्यता समाप्त भी किया जा सकता है।

18. संगठन के वैसे पुर्व सदस्य जो अब संगठन में सक्रिय नहीं हैं परंतु संगठन का नाम लेकर विभागो में जाकर अनुचित कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार का अनुचित लेन–देन करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति की होगी एवं संगठन के जानकारी में आने पर उसपर कानुनी कार्यवाही की जाएगी।

19. संगठन के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा अगर संगठन के नीति एवं नियम के विरूद्ध कार्य किया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्णरूपेण उस पदाधिकारी की होगी तथा उसका कार्यकाल तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा सकता है।

इन बिन्दुओं पर किसी भी स्तर पर उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा तथा संबंधित पदाधिकारी पर सांगठनिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसे अति आवश्यक समझें।

सधन्यवाद !

Antarashtriy Manavadhikar Sangathan — National In-charge

Ritesh Kumar 06/05/2026.

रितेश कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी

करो स्वीकार : सभी का मानवाधिकार

Scanned with OKEN Scanner